प्राक्कथन

1. कम्पनी अधिनियम, के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थापित सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) द्वारा सत्यापित किये गये लेखे सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के किया जाता है जिनकी टिप्पणियां सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के पूरक हैं। इसके अतिरिक्त ये कम्पनियां सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के अधीन भी हैं।

2. कुछ नियमों एवं प्राधिकरणों को शासित करने वाली संविधियों उनके लेखों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक बनाती हैं। ऐसे पांच प्राधिकरण जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के संबंध में प्रासंगिक संविधियों में सीएजी को उनका एकल लेखापरीक्षक नामित किया गया। एक निगम अर्थात केन्द्रीय भंडारगृह निगम के संबंध में, सीएजी के पास निगम को शासित करने वाली संविध के तहत नियुक्त किये गये सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किये जाने के बाद पूरक और जांच लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

3. 1984 में संशोधनानुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के भाग 19-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार को भारतीय कम्पनी या निगम के लेखों के संबंध में सीएजी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

4. वर्ष 31 मार्च 2017 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 13 मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रण के अन्तर्गत 31 सीपीएसईज से संबंधित 53 पृथक लेखापरीक्षा आपतियां शामिल की गई है। इस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट घटनाएं उनमें से हैं जो पूर्व वर्षों में सामने आई घटनाओं के साथ-साथ 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई घटनायें भी थी। कुछ मामलों में मार्च 2017 के बाद संव्यवहारों की लेखापरीक्षा के परिणाम भी बताये गये हैं।

5. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों/निगमों या सीपीएसई के सभी संदर्भों को केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों के संदर्भ में अनुमानित किया गया है जब तक कि विषय कुछ और सुझाव नहीं देता।

6. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई है।